भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 763
दिनांक 23 जुलाई, 2026

झुंझुनू में पाइप से प्राकृतिक गैस नेटवर्क

763. **श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान के झुंझुनू जिले को शहर में गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में शामिल किए जाने के बावजूद, वहां के आम नागरिकों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों के लिए अभी तक एक व्यापक पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नेटवर्क उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और झुंझुनू जिले में घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी नेटवर्क के विकास में देरी के क्या कारण हैं और परियोजना की वर्तमान प्रगति, स्वीकृत कार्य और अब तक हासिल की गई उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का झुंझुनू जिले के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में पीएनजी प्रदान करने के लिए नेटवर्क के त्वरित विस्तार हेतु कोई योजना आरंभ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमानित समय-सीमा क्या है और अब तक स्वीकृत और उपयोग की गई निधि, उससे प्राप्त परिणाम तथा प्रस्तावित वित्तीय प्रावधान और आगामी वर्षों के लिए लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन देना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है जिसमें ,अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी आपूर्ति करने के लिए पाइपलाइन अवसंरचना और अन्य सुविधाओ का निर्माण करना शामिल है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।

झुंझुनू ज़िला, झुंझुनू, सीकर और नागौर ज़िलों के उस भौगोलिक क्षेत्र (जीए) का हिस्सा है जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) को प्राधिकृत किया गया है। आईओसीएल ने सूचित किया है कि ज़िले में बिना रुकावट गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झुंझुनू में एक नगर गेट स्टेशन (सीजीएस)

स्थापित किया गया है। सीजीडी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा निधि मंज़ूर या आवंटित नहीं किया जाता है।प्राधिकृत सीजीडी कंपनी द्वारा पीएनजीआरबी से प्राप्त प्राधिकार और अनुमोदित परियोजना योजना के अनुसार निवेश किया जाता है।

दिनांक 31.05.2026 तक, प्राधिकृत सीजीडी कंपनी ने झुंझुनू जिले में 3,307 पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन प्रदान किए हैं और 214 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाई है। अब तक कोई व्यावसायिक या औद्योगिक पीएनजी कनेक्शन जारी नहीं किया गया है।

सरकार ने झुंझुनू जिला सहित देश भर में सीजीडी नेटवर्क के तेज़ी से विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमे,अन्य बातों के साथ-साथ, सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) के लिए प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस आवंटित करना; सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र से घरेलू गैस को हटाना; सीजीडी नेटवर्क का विस्तार; सीजीडी परियोजना को लोकोपयोगिता का दर्जा प्रदान करना; सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) उदेश्यो के लिए उपलब्ध माध्यमों (कैस्केड मोड सहित) से घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए अधिसूचना जारी करना; सीएनजी (टी)और पीएनजी (डी) खंड के लिए दो-तिमाही अग्रिम आधार पर घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटित करना; राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार; तरलिकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल स्थापित करना; और बायो-सीएसजी को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन की ओर सतत विकल्प (एसएटीएटी) जैसी पहल शामिल है।

राजस्थान सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस पर वैट को घटाकर 7.5% कर दिया है और सीजीडी अवसंरचना को तेज़ी से लागू करने के लिए एक राज्य सीजीडी नीति भी अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, सरकार ने देश भर में, विशेषकर सीजीडी के लिए पाइपलाइन अवसंरचना के समयबद्ध विस्तार को आसान बनाने के लिए 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' के तहत 24.03.2026 को एक व्यापक नियंत्रण आदेश को अधिसूचित किया है। यह आदेश 'मार्ग का अधिकार' (आरओडब्लू) और अनुमोदन देने के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है जिसमें सख्त समय-सीमा तय करना, देरी होने पर 'डीम्ड अप्रूवल' की सुविधा देना और सरकारी अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाना शामिल है। यह गैर भेदभावपूर्ण और समयबद्ध अनुमति को सुनिश्चित करके रिहायशी और निजी इलाकों में पहुच से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करता है, जिससे पाइपलाइन बिछाने में आने वाली मुख्य बाधाएं दूर होती हैं।
